



Neutral Citation No. - 2026:AHC:9768

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 19660 सन् 2025

नीरज मयंक श्रीवास्तव

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : शक्ति शंकर तिवारी, सुभाष चंद्र तिवारी

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शक्ति शंकर तिवारी ने वर्तमान रिट याचिका वापस लेने का अनुरोध किया है और नई याचिका दायर करने की अनुमति मांगी है, जिसमें निम्नलिखित राहत की प्रार्थना की गई है:

"(i) प्रत्यर्थीगण को आदेश देने हेतु परमादेश जारी किया जाए कि वे याचिकाकर्ता, जो सेवानिवृत्त संग्रह अमीन गुरु प्रसाद के विकलांग पुत्र हैं, को पारिवारिक पेंशन का भुगतान करें, ताकि न्याय हो सके।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) प्रत्यर्थागण को निर्देश दिया जाए कि वे दिनांक 07.11.2024 को याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों (इस रिट याचिका का अनुलग्नक संख्या 1) पर, जिसमें विकलांग याचिकाकर्ता/गुरु प्रसाद, सेवानिवृत्त संग्रह अमीन के कानूनी उत्तराधिकारी के लिए पारिवारिक पेंशन की मांग की गई है, इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित विशिष्ट अवधि के भीतर तर्कसंगत आदेश द्वारा निर्णय लें, ताकि न्याय हो सके।

(iii) उपरोक्त प्रार्थनाओं के अतिरिक्त और/या उनके स्थान पर उपयुक्त निर्देश, आदेश या रिट जारी किए जाएं, जैसा उचित हो। प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए यह उचित है।"

2. उपर्युक्त छूट के साथ रिट याचिका वापस ले ली गई मानकर **खारिज** की जाती है।

14 जनवरी, 2026

आर.एस. तिवारी

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)